जे.एस. सेखों, जे।

कृष्ण लाल - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य - *उत्तरदाता।*

***आपराधिक संशोधन सं.* 1986 *का* 511**

8 जनवरी, 1990

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 - धारा-2 (ix) (a), 7, 16 (1) (a) (i) - खाद्य *अपमिश्रण निवारण* नियम, 1955 - *नियम A*- 29.01 - अल्कोह ओ एल - व्हिस्की में मिलावट - *क्या उसे खाद्य वस्तु के रूप में माना जा सकता* है - *अधिनियम की प्रयोज्यता - अल्कोह ओ एल को गलत तरीके से प्रचारित करने का अपराध।*

यह अभिनिर्णित किया जाता है कि व्हिस्की और अन्य मादक पदार्थों की मिलावट से संबंधित आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहतएक अलग प्रक्रिया का पालन करके निपटा जाना चाहिए। उत्पाद शुल्क अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित अल्कोहल की शक्ति के उपर्युक्त मानक को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रयोजनार्थ सांविधिक मानक नहीं माना जा सकता है। (पैरा 4)

यह अभिनिर्णित किया गया है कि यदि व्हिस्की या अन्य मादक पेय पदार्थोंको इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए खाद्य पदार्थों के रूप में माना जाना आवश्यक नहीं है, तो गलत ब्रांडिंग का कोई सवाल ही नहीं है। 2 (ix) (a) में "गलत ब्रांडेड" की परिभाषास्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि यह भोजन की वस्तुओं से संबंधित है, न कि मादक पेय जैसे अन्य लेखों से। (पैरा 6 और 7)

सीआरपीसी की धारा 401 के तहत संशोधन के लिए याचिकाश्री एस. के. जैन की *अदालत के आदेश* का पालन करते हुए *। सत्र न्यायाधीश। करनाल ने4 अप्रैल,* 1986

को श्री एम. *ली शर्मा सी.जे.एम. करनाल* की 15 *जनवरी,* 1986 की तारीख को संशोधित किया।याचिकाकर्ता *को दोषी ठहराना और सजा सुनाना।*

आरोप और सजा:-

आर.आई. छह महीने के लिए और 1,000 रुपये का जुर्माना या *जुर्माना का भुगतान करने में चूक करने पर 2 महीने के लिए आर.आई. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम,* 1954 की धारा 16 (1) (ए) (आई) के *साथ धारा* 7 के तहत पढ़ा जाता है।*आपराधिक अपील सं.* 10 1986

केस नं. 1980 *का* 130/3।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एच. एस. गिल /

जे. बी. टकोरिया। वकील, *राज्य के लिए।*

निर्णय

जे.एस. सेखों, जे।

(1) याचिकाकर्ता मेसर्स नरेश कुमार एंड कंपनी, वाइन ट्रेडर्स घरौंडा की इंग्लिश वाइन शॉप पर सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था। 20 अप्रैल, 1979 को दोपहर 2 बजे श्री काली राम, खाद्य निरीक्षक ने डॉ. जेएस सोही के साथ उक्त एंग्लिस एच वाइन की दुकान पर छापा मारा और वहां इंपीरियल व्हिस्की की 19 क्वार्टर बोतलें और व्हिस्की के अन्य ब्रांड पड़े हुए थे। खाद्य निरीक्षक ने नमूने के रूप में इंपीरियल व्हिस्की के तीन चौथाई खरीदे और इसे विश्लेषण के लिए सार्वजनिक विश्लेषक को भेज दिया। सार्वजनिक विश्लेषक ने नमूने को गलत तरीके से प्रचारित किया क्योंकि नमूने की मादक शक्ति 75 डिग्री प्रमाण की लेबल घोषणा के मुकाबले 78.67 डिग्री प्रमाण पाई गई थी। इसके बाद खाद्य निरीक्षक ने याचिकाकर्ता के खिलाफ खाद्य रोकथाम अधिनियम की धारा 16 के तहत शिकायत दर्ज की।

(2) ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) (आई) के साथ धारा 7 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे नौ महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई, इसके अलावा 1,000 रुपये का जुर्माना भी अदा किया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को करनाल के सत्र न्यायाधीश ने भी खारिज कर दिया, सिवाय इसके किउप-मौलिक सजा को घटाकर छह महीने के कठोर कारावास में बदल दिया गया और जुर्माना अदा न करने पर दो दोषियों को सश्रम कारावास की सजा दी गई। दोषसिद्धि और सजा के उपरोक्त संदर्भित आदेशों के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

(3) याचिकाकर्ता के वकील श्री एच <एस गिल ने तर्क दिया कि शराब या व्हिस्की को खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में शराब का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है। उन्होंने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम ए 29.01 का भी उल्लेख किया, जिसके बाद नियम कहा जाता है, जिसमें पेय पदार्थों के शीर्ष के तहत केवल ताड़ी का मानक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि व्हिस्की एक खाद्य पदार्थ नहीं है, इसलिए इसकी गलत ब्रांडिंग का कोई सवाल ही नहीं है। श्री जे.बी. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील टकोरिया ने कहा कि फूडी आर्टिकल शब्द मनुष्यों द्वारा उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं को शामिल करेगा और इस प्रकार भले ही नियमों के तहत शराब का कोई मानक पूर्व निर्धारित नहीं है, फिर भी यह अधिनियम की धारा 2 (ix) (a) में परिभाषित खाद्य पदार्थ के गलत ब्रांडिंग का मामला होगा।

(4) बेशक, नियमों के तहत ताड़ी को छोड़कर व्हिस्की या अन्य मादक पेय पदार्थों में मादक शक्ति का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया था ।

यह तथ्य कि विधायिका ने नियम ए 29.01 में ताड़ी की मादक शक्ति निर्धारित की थी, आगे यह दर्शाता है कि ताड़ी को विधायिका द्वारा खाद्य वस्तु के रूप में माना जाता था, न कि किसी अन्य अल्कोहलकि पेय के रूप में। यदि ऐसा है, तो शराब को इस अधिनियम के अर्थ के भीतर खाद्य वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसे विधायिका की ओर से चूक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पंजाब आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत विभिन्न मादक पेय पदार्थों में अल्कोहल की ताकत निर्धारित की गई थी। एक तरह से यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि व्हिस्की और अन्य मादक पेय पदार्थों की मिलावट से संबंधित आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अलग-अलग किराया प्रक्रिया का पालन करके निपटा जाना चाहिए। उत्पाद शुल्क अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत मादक शक्ति के उपर्युक्त मानक को खाद्य व्यभिचार निवारण अधिनियम के प्रयोजनार्थ सांविधिक मानक नहीं माना जा सकताहै। इसके अलावा, पंजाब आबकारी अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई का संज्ञानकेवल आबकारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा ऐसी शक्तियों के साथ निवेश किए गए किसी अन्य व्यक्ति की लिखित शिकायत पर लिया जा सकता है। उपरोक्त कारणों से, खाद्य निरीक्षक को ऐसे किसी भी कर्मचारी के साथ निवेश नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ पंजाब आबकारी अधिनियम के तहत अपराध का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

(5) इसी तरह का एक विवाद *तरबलबीर सिंह* बनाम भारत मामले में भी जांच के दायरे में आया था। *पंजाब राज्य* (1)। इसमें, खाद्य निरीक्षक द्वारा उस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के तहत घोषित अल्कोहल की संख्या से अधिक नमूनों की अल्कोहल क्षमता के बारे में शुरू की गई कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि अधिनियम के तहत अल्कोहल की ताकत का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है, शराब को मिलावटी नहीं कहा जा सकता है। उस मामले में 1981 के सीआरपीसी 5600-एम में एकल पीठ का पिछला निर्णय *(चमन लाई* और अन्य बनाम चमन, लाइ और अन्य) *पंजाब राज्य)* 22 जुलाई, 1982 को लिए गए फैसले पर भरोसा किया गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ***मैसर्स एसोसिएटेड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड हिसार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य*** **(2)** मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय स्वास्थ्य

नगर बोर्ड के जिला चिकित्सा अधिकारी में इसके विपरीत है।*मसूरी, देहरादून* वी। *असरार सिंह और एक अन्य* (3) को इस आधार पर प्रतिष्ठित किया गया था कि उस फैसले में नियमों और उसके तहत निर्धारित मानकों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था।

(1) 1986-1 पीएलआर 680।

(2) 1989 (2) पी.एफ.ए. मामले 180.

(3) 1974 एफ.ए.सी.

(6) इस प्रकार, यदिइस अधिनियम के प्रयोजन रा्थ व्हिस्की या अन्य मादक पदार्थों को खाद्य पदार्थों के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है, तो गलत प्रचार का कोई प्रश्न ही नहीं है। धारा 2 (ix) (a) में "गलत ब्रांडेड" की परिभाषा निम्नानुसार है: –

"(ix) **"मिसब्रांडेड"** - भोजन की एक वस्तु को गलत ब्रांड किया जाएगा-

(क) यदि यह किसी अन्य खाद्य वस्तु, जिसके नाम से उसे बेचा जाता है, की नकल की गई है, या उसका विकल्प है,या धोखा देने की संभावना है, और उसके वास्तविक चरित्र को इंगित करने के लिए स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से लेबल नहीं किया गया है;

(7) उपरोक्तपुनर्निर्मित परिभाषा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह भोजन की वस्तुओं से संबंधित है न कि मादक पेय जैसे अन्य वस्तुओं से।

(8) मामला यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि खाद्य निरीक्षक ने इंपीरियल व्हिस्की की इन सभी क्वार्टर बोतलों पर सील को बरकरार पाया और मामले की सुनवाई के दौरान, आरोप तय करते समय, आरोपी ने आपत्ति जताई कि उसने हरियाणा पर्यटन निगम से व्हिस्की खरीदी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 7 दिसंबर के अपने विस्तृत आदेश में, 1983 में, हरियाणा पर्यटन निगम के खिलाफ इस आधार पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या व्हिस्की को उसी स्थिति में संग्रहीत, रखा और बेचा गया था जिस स्थिति में इसे खरीदा गया था। ट्रायल कोर्ट के उपर्युक्त निष्कर्ष न तो यहां हैं और न ही वहां हैं क्योंकि व्हिस्की को किसी विशेष तापमान या तरीके से संग्रहीत करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब खाद्य

निरीक्षक के अनुसार, नमूना बोतलों पर सील बरकरार थीं। 9 अप्रैल, 1984 को मुकदमे के बाद के चरण में, श्री पियारे लाई, खाद्य निरीक्षक ने अधिनियम की धारा 20-ए के तहत शराब की दुकान के मालिक को तलब करने के लिए फिर से एक आवेदन दायर किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 10 मई, 1984 के आदेश के तहत इस आवेदन को खारिज कर दिया।नरेश कुमार एंड कंपनी के भागीदारों के पूर्ण विवरण और नामों को बंद कर दिया, भागीदारों को अनुमति देने से कार्यवाही में और देरी होगी। आरोपी याचिकाकर्ता ने फाइल पर 1 अप्रैल, 1979 के खरीद बिल की प्रति पेश की, जिसमें हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड हरियाणा के करनाल कार्यालय से इमडेरियल व्हिस्की और अन्य प्रकार की शराब की उपरोक्त क्वार्टर बोतलों की खरीद का खुलासा होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बोतलों पर सील बरकरार पाई गई थी, ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय याचिकाकर्ता के बचाव के इस पहलू को भी ध्यान में रखने के लिए बाध्य थे, जो अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत उसके लिए स्वीकार्य था।

भारत संघ और एक अन्य *बनाम* बीरबल दास और एक अन्य
(ए.एल. बहरी, जे।

यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी याचिकाकर्ता ने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया था क्योंकि खाद्य निरीक्षक द्वारा सील पाई गई थी और उपरोक्त उल्लिखित निगम से शराब की खरीद के 19 दिनों के बाद ही पर्याप्त मात्रा में लिया गया था, व्हिस्की को उसी स्थिति में रखने के बारे में किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं थी जिस स्थिति में इसेनिगम से पीछा किया गया था।

(9) उपर्युक्त कारणों से, उपर्युक्त अपराधों की दोषसिद्धि और सजा टिकाऊ नहीं होने के कारण, इस पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करके इसे रद्द किया जाता है। जुर्माना; यदि भुगतान किया जाता है, तो एसएचए वापस कर दिया जाएगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा।

(सेवा 3)